**अध्याय II**

# राजस्व आसूचना निदेशालय की कार्यप्रणाली

## 2.1 प्रस्तावना

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) का गठन 4 दिसम्बर 1957 को किया गया था। डीआरआई सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 100, 101, 103, 104, 106, 107 तथा 110 में निर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं। डीआरआई ने आसूचना एकत्रित करने का एक नेटवर्क स्थापित किया है जो पारंपरिक मानव आसूचना संसाधनों के साथ-साथ समकालीन तकनीकी उपकरणों पर निर्भर है। डीआरआई क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए आसूचना का संग्रहण, जाँच में मदद करता है, विश्लेषण तथा प्रचार-प्रसार करता है तथा तस्करी की प्रवृतियो, अन्य वर्जित समान के आवगमन पर नजर रखने के लिए बरामदगी तथा दर/कीमतों के आकँडे भी रखता है तथा वर्तमान कानूनों तथा प्रक्रियाओं में खामियों को सुधारने के लिए सुझाव भी देता है। इसका संगठनात्मक ढांचा वेबसाइट डीआरआई.एनआईसी.इन में दिया गया है।

## 2.2 कार्यक्षेत्र तथा कवरेज

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र आन्तरिक नियंत्रक तथा मॉनीटरिंग व्यवस्था तक ही सीमित था। आईएसएस (आसूचना समर्थन प्रणाली) के रूप में पहचाने जाने वाले संगठन की जांच तथा डाटाबेस के तहत मामलों के मुखबिरों को पुरस्कार देने से संबंधित रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए हालांकि लेखापरीक्षा हस्तक्षेप लेखापरीक्षा महानिदेशक स्तर पर था।

रिपोर्ट को साक्षात्कार, विभाग को जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के प्रति प्राप्त उत्तर/सूचना के आधार पर बनाया गया है।

## 2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य इसकी समीक्षा करना है कि क्या:-

- डीआरआई के पास मामलो में स्वत: संज्ञान लेने के लिए मानव शक्ति, उपकरणों आदि के अनुसार पर्याप्त संसाधन है।

- डीआरआई तथा अन्य एजेंसियों के बीच सतर्कता/आसूचना को साझा करने के लिए एक उपयुक्त मॉनीटरिंग, समन्वय, संचार नेटवर्क तथा प्रतिक्रिया मौजूद है।
- खुफिया जानकारी जुटाने और प्रयोग की दक्षता।

## 2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.4.1 कर अपवंचन, जांच और जब्ती

पिछले पाँच वर्षों (वि.व.10 से वि.व.14) के दौरान संख्या एवं राशि दोनों के मामलों में अपवंचन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसाकि **अनुबंध 2** में दिखाया गया है। उसी अवधि के दौरान शुल्क अपवंचन मामले 391 से बढ़कर 694 और ₹ 615 करोड़ से ₹ 3,113 करोड़ हो गए थे।

डीआरआई इकाई (सीबीईसी) ने ₹ 10025.30 करोड़ के कर चोरी के 2873 मामलो का वि.व.10 से वि.व.14 के दौरान पता लगाया। सम्मिलित उत्पाद मुख्यतः सेकेण्ड हैंड मशीनरी, इलैक्ट्रोनिक वस्तुएं, मेमरी कार्ड, हेलिकॉप्टर, महँगी कारे, मोबाइल फोन और इनकी बैटरियां, वाहन और उनके पुर्जे, अनगढ़ हीरे और गहने थे।

### 2.4.2 निर्दिष्ट वस्तुओं की जब्ती में बढ़ती हुई प्रवृत्ति

वि.व. 10 से वि.व. 14 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट वस्तुओं की जब्त की संवीक्षा **(अनुबंध 3)** के दौरान यह देखा गया कि आयात शुल्क बढ़ाने, चालू वित्तीय घाटे में सुधार के लिए सोने के आयात को विनियमित करने के अन्य सरकारी उपायों के कारण अखिल भारतीय स्तर पर सोने की जब्ती की प्रवृत्ति बढ़ रही थी।

यह देखा गया था कि अखिल भारतीय स्तरों पर जब्ती की कुल राशि क्रमशः ₹ 2156.50 करोड़ से बढ़कर ₹ 2271.82 करोड़ तक हो गई थी। अधिकतम वृद्धि सोने, मशीनरी/पुर्जे, एवं वाहन/पोत/एयरक्रॉफ्ट आदि में देखी गई थी। ऐसा, टैरिफ यौक्तिकीकरण और बढ़ते हुए मुक्त व्यापार सरलीकरण एवं निगरानी के बावजूद था। वि.व.12 अखिल भारतीय (₹ 2755.68 करोड़) और डीआरआई (₹ 2130.67 करोड़) दोनों के लिए सर्वाधिक जब्ती मूल्य था।

**2.4.3** डीआरआई के पास वाणिज्यिक धोखाधड़ी तथा तस्करी के मामलों की गतिशील तथा बढ़ती प्रवृति और परिष्कार से उत्पन्न चुनौतियों का सामना

करने के लिए मानवशक्ति तथा उपकरणों के अनुसार पर्याप्त साधन है। इसके उपयोग तथा प्रदर्शन की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

### 2.4.4 स्टाफ की स्थिति

डीआरआई के कार्यरत कर्मचारी 740 संस्वीकृत कर्मचारियों के प्रति 544 है। 31 मार्च 2014 तक क्षेत्र-वार संस्वीकृत कर्मचारियों की तुलना में कार्यरत कर्मचारी निम्नानुसार है:

**तालिका 2.1: संस्वीकृत एवं कार्यरत संख्या**

| क्रम सं. | डीआरआई जोन | संस्वीकृत कर्मचारी | कार्यकारी डीआरआईस्टाफ | स्टाफ प्रतिनियुक्ति | कार्यकारी कर्मचारियों के प्रति प्रतिनियुक्ति स्टाफ का % | रिक्तियां | संस्वीकृत कर्मचारियों के प्रति रिक्तियों की % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्यालय | 154 | 100 | 12 | 10.7 | 42 | 27.27 |
| 2 | नई दिल्ली | 104 | 40 | 34 | 45.9 | 30 | 28.85 |
| 3 | मुम्बई | 124 | 40 | 57 | 58.8 | 27 | 21.77 |
| 4 | चेन्नई | 80 | 26 | 32 | 55.2 | 22 | 27.50 |
| 5 | कोलकाता | 77 | 25 | 27 | 51.9 | 25 | 32.47 |
| 6 | अहमदाबाद | 58 | 25 | 25 | 50.0 | 8 | 13.79 |
| 7 | लखनऊ | 77 | 28 | 27 | 49.1 | 22 | 28.57 |
| 8 | बैंगलोर | 66 | 25 | 21 | 45.7 | 20 | 30.30 |
| **कुल** | | **740** | **309** **544** | **235** | **43.2** | **196** | **26.50** |

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि केवल अहमदाबाद के मामले जहां रिक्तियां सबसे कम 13.79 प्रतिशत थी, को छोड़कर स्टॉफ की कमी समान रूप से है। इसके अलावा, डीआरआई के अपने स्टाफ के प्रति प्रतिनियुक्त स्टाफ की प्रतिशतता भी केवल मुख्यालयों जहाँ यह 10.7 प्रतिशत तक कम थी, को छोड़कर समान रूप से थी। तथापि, प्रतिनियुक्त स्टॉफ की प्रतिशतता तैनात कर्मचारियों के लगभग 43 प्रतिशत है तथा औसत रिक्तियां 26.50 पर है।

डीआरआई द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ के कार्यकाल से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की गई। यह दर्शाने के लिए रिकार्ड में कोई दस्तावेज नहीं था या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया कि वर्तमान में आईसीटी के व्यापक उपयोग करने के लिए आधुनिक कार्य मानदण्ड संस्वीकृत कर्मचारियों की गणना का आधार थे।

### 2.4.5 वित्तीय व्यवस्था

डीआरआई की निधियां गैर योजनित अनुदानों के रूप में मानव संसाधन विकास के महानिदेशक द्वारा जारी की जाती है। खाते का प्रमुख 'रिवार्ड टू इनफार्मर' तथ 'सीक्रेट सर्विस फंड' भी शामिल करता है। डीआरआई (मुख्यालय) द्वारा प्राप्त समेकित बजट को आगे जोनल अधिकारियों को बांटा जाता है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 हेतु जोन-वार बजट तथा वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:-

**तालिका 2.2: बजट एवं खर्चे**

**(₹ हजार में)**

| क्रम सं. | डीआरआई जोन | संस्वीकृत बजट | वास्तविक व्यय | संस्वीकृत बजट | वास्तविक व्यय | संस्वीकृत बजट | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
| 1 | डीआरआई (मुख्यालय) | 109358 | 97385 | 160434 | 150310 | 150725 | 145294 |
| 2 | नई दिल्ली | 69226 | 65969 | 68184 | 66203 | 70220 | 69765 |
| 3 | मुम्बई | 126135 | 123673 | 131797 | 120125 | 91867 | 91787 |
| 4 | चेन्नई | 64565 | 63814 | 52192 | 52115 | 62955 | 62493 |
| 5 | कोलकाता | 53607 | 49149 | 61265 | 57927 | 62147 | 62071 |
| 6 | अहमदाबाद | 56057 | 50293 | 59620 | 51579 | 63911 | 63726 |
| 7 | लखनऊ | 43496 | 42286 | 50861 | 48954 | 61650 | 61650 |
| 8 | बैंगलोर | 50885 | 50729 | 52341 | 48946 | 53750 | 53750 |
| | कुल | **573329** | **543298** | **636694** | **596159** | **617225** | **610536** |

इसमें एक अलग मुख्य उपकरण कोष भी है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान मुख्यालय के बजट व्यय के वेतन घटक ने कार्यरत कर्मचारियों के प्रति कम होने की प्रवृति दर्शायी। आबंटन का आधार दर्शाने के लिए कोई बजट विश्लेषण नहीं था। वर्ष 2011-12 से 2013-2014 के दौरान पुरस्कार तथा सीक्रेट सर्विस फंड के लिए संस्वीकृत राशि को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

**तालिका 2.3: पुरस्कार एवं सीक्रेट फंड**

**(₹ हजार में)**

| वर्ष | मुखबिर को पुरस्कार | | सीक्रेट सर्विस फंड | |
|---|---|---|---|---|
| | संस्वीकृत | व्यय | संस्वीकृत | व्यय |
| 2011-12 | 35000 | 27009 | 20000 | 20000 |
| 2012-13 | 5000 | 48062 | 24000 | 24000 |
| 2013-14 | 70000 | 83659# | 25000 | 25000 |

(#) दिनांक 20 मार्च 2014 की पत्र संख्या 8/बी/10(184) एचआरडीईएमसी/2014 द्वारा, डीजीएचआरडी के कार्यालय ने भी एक ही क्षेत्र के अन्दर एक मद से अन्य में निधियों को

स्थानांतरित करने के लिए डीआरआई को प्राधिकृत किया है (अर्थात मुखबिर तथा इसके विपरीत को पुरस्कार देने के लिए 'पुरस्कार (अधिकारियों)' के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए आयुक्तालय/भूमि सीमा शुल्क के अन्तर्गत या राजस्व कार्यो/निवारक कार्यो के अन्तर्गत)।

लेखापरीक्षा को 'सीक्रेट सर्विस फंड' का प्रमाणन प्रदान नहीं किया गया, तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि डीजी (डीआरआई) स्वयं अपनी 'सीक्रेट सर्विस फंड' को प्रमाणित करता है तथा कोई स्वतंत्र एजेंसी इसकी सच्चाई को प्रमाणित नहीं करती।

## 2.5 संगठन को पिछले अनुभव के आधार पर विकसित इसके स्वयं के आसूचना नेटवर्क के आधार पर मामलों का स्वत: संज्ञान लेना

डीआरआई इंटेलिजेन्स सर्पोट सिस्टम (आईएसएस) तथा डीआरआई प्रोफालिंग सिस्टम (डीआरआईपीएस) के लिए आईटी प्रणाली का उपयोग करता है। यह इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से भी जुडा है। हमने डीआरआई को डीआरआईपीएस तथा अन्य डाटा प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया परन्तु इसे प्रदान नहीं किया गया। निम्नलिखित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रदान किए गए पेपरों, साक्षात्कारों तथा डीआरआई प्रणाली के सिस्टम नेविगेशन तथा उपरोक्त बताए अनुसार साइबर सुरक्षा हेतु चुनौतियों के विश्लेषण के परिणमों के आधार बनाया गया है।

1. डीआरआई के पास डाटाबेस प्रबंधन हेतु कोई आईएस सामरिक योजना नहीं है। सूचना तकनीक की चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन को उचित प्रकार से बनाने के लिए कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा मैन्यूअली बनाए डाटा को आन्तरिक रूप से लेखापरीक्षित या मॉनीटर नहीं किया जाता।
2. यह भी देखा गया कि एक महत्वपूर्ण आसूचना प्रणाली के सामरिक रूप से प्रबंध तथा मॉनीटर करने के लिए आवश्यक मानवशक्ति की भर्ती, क्षमता निर्माण, कौशल उन्नयन के लिए कोई एचआर (मानव संसाधन) प्रबंधन नीति नहीं थी।
3. एक आईएस संगठन में आईएसएस/डीआरआईपीएस हैंडलिंग सेनसिटीव आसूचना डाटा जैसे बहु स्थान, बहु उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण आवेदन को गैर अनुपालन का पता न चलने का जोखिम है। इसीलिए निम्नलिखित की सिफारिश की गई है:

क. स्वतंत्र थर्ड पार्टी मूल्यांकन/निर्धारण जो उसके मस्तिष्क में नहीं हो सकता जिसने इसे बनाया।

ख. सही कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करना।

ग. डीआरआई के अन्दर एक उपयुक्त आईएस संगठन का सृजन।

घ. आईएस नेटवर्क के अन्दर आन्तरिक दीवारों का निर्माण करना।

ङ. डाटाबेस, प्रबंधन परिवर्तन, संचालन प्रणाली, बुनियादी सुविधाओं, हार्डवेयर विन्यास, नेटवर्क, आईएस सुरक्षा की लेखापरीक्षा ।

### 2.5.1 प्राप्त तथा एकत्र की गई आसूचना/जानकारी

ई-मेल, फोन कॉल, पर्सनल दौरे, डाक आदि जैसे विभिन्न स्रोतो के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जानकारी प्राप्त करने के पश्चात, इसकी जांच तथा विश्लेषण किया जाता है तथा यदि इसे प्रथम दृष्टया सही/कार्रवाई योग्य पाया जाए तो इसे आगे विकसित किया जाता है। इस प्रकार मामलों के पता लगने तथा जांच के कारण कार्रवाई योग्य जानकारी रिकार्डिड जानकारी या अनरिकार्डिड जानकारी के रूप में हो सकती है। आसूचना/जानकारी को डीआरआई-1 (जानकारी की रिकार्डिंग हेतु एक विशिष्ट तत्रं जो मुखबिर को पुरस्कार के लिए सक्षम भी बनाता है) के अन्तर्गत रिकार्ड किया जाता है जिसे डाटाबेस अर्थात डीआरआई -1 रजिस्टर में बनाया जाता है। जानकारी के अलावा, मामलों का एकत्र आसूचना के आधार पर पता भी लगाया जाता है तथा जांच की जाती है और आयात/निर्यात ऑकडों को विश्लेषण के माध्यम से विकसित किया जाता है। डीआरआई-1 रजिस्टर को लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया। कोई भी तकनीकी लेखापरीक्षा नही की गई या डीआरआई की प्रक्रिया और कार्यविधि का प्रतितथ्यात्मक सत्यापन नहीं किया गया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त/एकत्र आसूचना तथा जांच हेतु चयनित का विवरण नीचे दिया गया है:

**तालिका 2.4: आसूचना एवं अन्वेषण**

| वर्ष | प्राप्त आसूचना की संख्या | जांच हेतु चयनित मामलों की संख्या | जांच से पूर्व बंद हुए मामलों की संख्या | जांच के पश्चात बंद हुए मामलों की संख्या | जांच हेतु पुनः खुले मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 139 | 124 | 15 | 4 | शून्य |
| 2012-13 | 67 | 65 | 2 | 2 | शून्य |
| 2013-14 | 43 | 41 | 2 | 1 | शून्य |
| कुल | **249** | **230** | **19** | **7** | शून्य |

*वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामले में मुखबिर से प्राप्त तथा डीआरआई -1 के तहत रिकार्डिड जानकारी

उपरोक्त तालिका यह सूचना देती है कि वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में डीआरआई में प्राप्त वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों की आसूचना/जानकारी की संख्या में गिरावट आई।

**तालिका 2.5: मुखबिरों तथा अधिकारियों को भुगतान किए गए पुरस्कार की भिन्नता %**

| वर्ष | भुगतान (₹ लाख में) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | मुखबिरों | भिन्नता % | अधिकारियों | भिन्नता % |
| | | | | |
| 2011-12 | 52 | | 362 | |
| 2012-13 | 374 | 619 | 484 | 34 |
| 2013-14 | 399 | 667 | 699 | 93 |

हालांकि वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान मुखबिरों को भुगतान किए पुरस्कार की राशि में क्रमशः 619 प्रतिशत तथा 668 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। प्राप्त आसूचना की संख्या में धीरे-धीरे कमी हो रही थी। इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान अधिकारियों के पुरस्कार में 34 प्रतिशत तथा 93 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी जो प्राप्त किए/जांच किए मामलों की आसूचना /जानकारी की संख्या के आनुपातिक नहीं है।

लेखापरीक्षा जांच पर, डीआरआई ने जवाब दिया कि सामान्य जानकारी/ आसूचना मामलों जिसमें अत्यधिक संवेदनशील एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसिस) तथा अन्य मामलें सम्मिलित है, की सूचना नहीं दी गई क्योंकि उनसे संबंधित जानकारी को बांटा नहीं जा सका। इसीलिए, जांच हेतु चयनित मामलों की वास्तविक संख्या तथा उसके लिए कार्रवाई को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

### 2.5.2 जांच

जांच को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में परिकल्पित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। जानकारी की जांच हेतु अपनाई गई प्रक्रिया जानकारी के प्रकार पर निर्भर करती है तथा मामले के आधार पर की जाती है। जांच के दौरान रिकार्ड किए तथा दर्ज ब्यानों के साक्ष्य के आधार पर जांच को पूरा किया जाता है तथा जांच पूरी हो जाने पर, एससीएन जारी किया जाता है। डीआरआईपीएस (डीआरआई प्रोफाइलिंग प्रणाली) के रूप में पहचाने जाने वाले एक विशेष डाटाबेस में वर्ष के दौरान जांच का डाटाबेस बनाया जाता है। डीआरआईपीएस में एससीएन जब प्राप्त किया गया तब की स्थिति भी रिकार्ड की जाती है। डीआरआईपीएस की हार्ड कॉपियों को नहीं रखा जाता है। लेखापरीक्षा को डीआरआईपीएस तक पहुंच प्रदान नहीं की गई।

संख्या में भिन्नता ने जांच हेतु चयनित 'मामलों की संख्या' के रूप में दर्शाया तथा डाटा प्रविष्टि पद्धतियों के कारण आयु विश्लेषण भिन्न था जो इनपुट नियंत्रणों में कमी का सूचक था। 31 मार्च 2014 तक लम्बित जांच की जोनल यूनिट वार स्थिति तालिका 2.6 में दी गई है।

**तालिका 2.6: लंबित जांच का विवरण**

| जोनल यूनिट का नाम | अभी तक चल रही जांच की संख्या | निर्दिष्ट अवधि (31 मार्च 2014 तक) से अधिक लम्बित जांच की संख्या | | | | 6 माह से अधिक लम्बित जांच का % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | < 6 माह | > 6 माह परन्तु <1 वर्ष | > 1 वर्ष परन्तु < 5 वर्ष | > 5 वर्ष | |
| अहमदाबाद | 147 | 64 | 20 | 63 | शून्य | 56.46 |
| बैंगलोर | 60 | 42 | 7 | 11 | शून्य | 30.00 |
| चेन्नई | 145 | 50 | 28 | 67 | शून्य | 65.52 |
| दिल्ली | 97 | 56 | 12 | 29 | शून्य | 42.27 |
| कोलकाता | 116 | 31 | 32 | 50 | शून्य | 73.28 |
| लखनऊ | 44 | 27 | 9 | 8 | शून्य | 38.64 |
| मुम्बई | 221 | 74 | 26 | 121 | शून्य | 66.52 |
| मुख्यालय | 38 | 27 | 6 | 5 | शून्य | 28.95 |
| **कुल** | **868** | **371** | **140** | **354** | **3** | **57.26** |

उपरोक्त तालिका सूचना देती है कि छः माह से अधिक हेतु लम्बित जांच की प्रतिशतता कोलकाता में 5 वर्षों से अधिक तक लम्बित 3 मामलों के साथ 29 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच है।

इसके अतिरिक्त, कुल 868 जांच में से 497 जांच (57 प्रतिशत) छः माह से अधिक लम्बित है यद्यपि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के

अनुसार, एससीएन छः माह की समय अवधि में जारी होने के लिए अनुबंधित है। तदनुसार, यह संभावना है कि जांच के अंतिम स्तर पर, ये मामले किसी राजस्व उगाही हेतु समय बाधित हो सकते है।

डीआरआई को वसूली या गिरावट के पश्चात बंद हुए मामलों की फाइलें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। डीआरआई ने उत्तर दिया कि आवश्यक डाटा सीक्रेट है तथा गोपनीय प्रकृति का है तथा इसीलिए इसे दिया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, यह पता चला कि डीओआर/सीबीईसी ने डीआरआई की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को किसी चेक तथा बेलेंस या निष्पादन मूल्यांकन तंत्र के बिना छोड़ दिया था।

### 2.5.3 सीमा शुल्क ओवरसीज आसूचना नेटवर्क (सीओआईएनएस)

सीओआईएन यूनिट ओवरसीज से एकत्रित की गई या जोनल यूनिटों के अनुरोध पर संग्रहित आसूचना देती है जो डीआरआई द्वारा की गई जांच में सहायता करती है।

लेखापरीक्षा द्वारा डीआरआई से निम्नलिखित जानकारी/फाइलें/दस्तावेज मांगे गए:

(i) एससीएन, जब्ती तथा वसूली के मामले में सीओआईएन अधिकारियों द्वारा दी गई आसूचना का सफलता अनुपात।
(ii) आरईआईसी तथा अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ विनियमित जानकारी की दक्षता।

डीआरआई ने उत्तर दिया कि पूर्वकथित सभी जानकारी/फाइलें/दस्तावेज अधिक गोपनीय है तथा ऐसे विवरणों को सवैधानिक लेखापरीक्षा के साथ बांटा नहीं जा सकता। डीआरआई सीओआईएन द्वारा समर्थित मामलों की संख्या तथा महत्व पर भी जानकारी प्रदान नहीं कर सकता।

लेखापरीक्षा यह नहीं जानती कि सीओआईएन प्रणाली की प्रभावकारिता को स्वतंत्र रूप से कैसे मूल्यांकित किया जाएगा क्योंकि डीआरआई की कोई तकनीकी लेखापरीक्षा नहीं होती।

### 2.6 जारी एससीएन की मॉनीटरिंग के लिए एक कमजोर प्रतिक्रिया प्रणाली

जांच तथा दर्ज ब्यानो के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर जांच को पूरा किया जाता है तथा जांच के समापन पर जब जांच पूरी हो जाए तो एससीएन जारी किया जाता है। छः माह की निर्धारित समयावधि के अन्दर एससीएन जारी

किया जाता है अथवा जहां पर भी जांच के दौरान माल को जब्त किया जाता है वहां सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 में प्रदत्तानुसार विशेष अतिरिक्त समय लिया जाता है, यदि नहीं तो माल के अस्थायी रिलीज को स्वीकृत किया जाता है। जहां पर भी सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 के अनुसार 5 वर्षों की विस्तारित अवधि का उपयोग किया जाता है, वहां आयातों में शुल्क अपवंचन के मामले में 5 वर्षों के अन्दर एससीएन जारी किया जाना है। निर्यात धोखाधड़ी या नीति का उल्लंघन आदि जैसे अन्य मामलों में, एससीएन जारी होने की कोई अनुबंधित समयावधि नहीं है जो अनिवार्य है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी हुए एससीएन का वर्ष–वार विवरण निम्नानिसार है:-

**तालिका 2.7: एससीएन की स्थिति**

| वर्ष | मुखबिरों से प्राप्त आसूचना/जानकारी के आधार पर जारी एससीएन की संख्या | स्व:प्रेरित आधार पर जारी एससीएन की संख्या | जारी एससीएन की कुल संख्या | वर्षानुसार लेन-देनों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | आयात* | निर्यात* |
| 2011.12 | 99 | 566 | 665 | 62,33,000 | 67,79,000 |
| 2012-13 | 85 | 735 | 820 | 74,60,630 | 65,61,921 |
| 2013-14 | 273 | 743 | 1016 | 84,11,542 | 69,15,958 |
| कुल | **457** | **2044** | **2501** | **1,46,44,542** | **1,36,94,958** |

*स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता

मामलों का अधिनिर्णय निर्णय करने वाले उस प्राधिकारी पर निर्भर करता है जो आयुक्तालय प्रणाली का भाग है। अधिनिर्णय आदेश की एक प्रति संबंधित डीआरआई क्षेत्रीय इकाई को डीआरआईपीएस में निर्णय रिकार्ड को सामयिक करने के लिए भेजी जाती है।

कुल जारी एससीएन की संख्या उन कुल सीमा शुल्क लेन देनों जो इन वर्षों के दौरान हुई थी, के अनुरूपन नहीं है।

डीआरआई ने कहा कि एससीएन के अधिनिर्णय पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा इसीलिए इस संदर्भ में कोई मॉनीटरिंग नहीं की जाती। पिछले तीन वर्षोंके लिए जब्त माल के मूल्य तथा निश्चित शुल्क के साथ-साथ अधिनियर्णरूप मामलों की संख्या नीचे दी गई है।

**तालिका 2.8: अधिनिर्णयित मामलें**

**₹ करोड़ में**

| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|
| अधिनिर्णयित मामलों की संख्या | 134 | 357 | 355 |
| निश्चित शुल्क | 296 | 4310 | 3774 |
| जब्त माल का मूल्य | 693 | 3271 | 7419 |
| जोड़ (पंक्ति 2 + 3) | **989** | **7581** | **11193** |

उपरोक्त तालिका निदिष्ट करती है कि 2012-13 में अधिनिर्णयत मामलों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी जो 2013-14 में थेड़ी कम हुई। अधिकतर मामले ऐसे थे जिसमें अधिनिर्णय प्रारम्भ नहीं हुआ था (अर्थात 2501 मामले)।

**तालिका 2.9 निश्चित शुल्क एवं जब्त माल का मूल्य**

**₹ करोड़ में**

| वर्ष | सीमा शुल्क प्राप्तियां* | योजनाओं सहित मदों पर परित्यक्त राजस्व | जोड़ | निश्चित शुल्क | जब्त माल का मूल्य | कॉलम 4 के प्रति कालम 5 का % | कालम 4 के प्रति कालम 6 का % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2011-12 | 149328 | 285638 | 434966 | 296 | 693 | 0.07 | 0.16 |
| 2012-13 | 165346 | 298094 | 463440 | 4310 | 3271 | 0.93 | 0.71 |
| 2013-14 | 172033 (P) | 326365 (P) | 498398 | 3774 | 7419 | 0.76 | 1.49 |

स्रोत: * संघ प्राप्ति बजट, सीबीईसी-डीडीएम,

निश्चित शुल्क कुल सीमा शुल्क प्राप्तियों तथा परित्यक्त शुल्क का एक बहुत कम प्रतिशत (0.07 से 0.76 प्रतिशत) है। इसी अवधि हेतु जब्त माल का मूल्य कुल सीमा शुल्क प्राप्तियों तथा परित्यक्त राजस्व का 0.16 प्रतिशत से 1.49 प्रतिशत है। जो एकत्रित आसूचना में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है।

डीआरआई को संबंधित आयुक्तालयों द्वारा अधिनिर्णयित एससीएन के संबंधित परिणामों की रिकॉर्डिंग/मॉनीटरिंग हेतु बनाए रिकॉर्ड /रजिस्टर प्रस्तुत करने को कहा गया था। डीआआई ने उत्तर दिया कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी से प्राप्त निर्णय आदेश को डीआरआईपीएस में प्रविष्ट किया जाता है तथा उसके पश्चात अवलोकन किया जा सकता है। यद्यपि सत्यापन हेतु डीआरआई द्वारा अनुरक्षित वर्तमान स्थिति को लेखापरीक्षा के लिए प्रदान नहीं किया गया।

## 2.7 डीआरआई तथा अन्य एजेंसियों के बीच सावधानियों/आसूचना को सांझा करने के लिए समन्वय तथा संचार नेटवर्क।

डीआरआई के आदेश पर संपादित राजस्व तथा कुल व्यापार मूल्य (निर्यात +आयात) में इसका प्रतिशत भाग नीचे दर्शाया गया है। यह स्पष्ट होता है कि डीआरआई के कार्य का सहयोग नगण्य है।

**तालिका 2.10: डीआरआई के प्रयासों से लिया गया शुल्क**

**₹ करोड़**

| वर्ष | निर्यात* | आयात* | जोड़ | डीआरआई के आदेश पर संपादित राजस्व # | कॉलम 4 के प्रति कॉलम 5 का % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2011-12 | 14,65,959 | 23,45,463 | 38,11,422 | 1728 | 0.05 |
| 2012-13 | 16,34,319 | 26,69,162 | 43,03,481 | 4743 | 0.11 |
| 2013-14 | 19,05,011 | 27,15,434 | 46,20,445 | 3113 | 0.07 |

स्रोत: * वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्रालय, एक्जिम डाटा, www.commerce.nic.in

# राजस्व आसूचना निदेशालय, सीबीईसी

### (क) अंत: विभागीय समन्वय

जानकारी/आसूचना को जानकारी /आसूचना की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक मामले के अनुसार जोनल यूनिटों, क्षेत्रीय संरचनाओं तथा अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ सांझा किया जाता है। इन मामलो पर आगे कार्रवाई संबंधित यूनिट के अपने विश्लेषण तथा मामले की जांच पर निर्भर करती है।

### (ख) अन्तर–विभागीय समन्वय

जानकारी/आसूचना को केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) तथा क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति (आरईआईसी) बैठकों जो आवधिक रूप से आयोजित की जाती है, के माध्यम से ईडी, आईटी आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ सांझा किया जाता है। गोपनीय जानकारी/आसूचना को भी प्रत्येक मामले के आधार पर तथा जानने की आवश्यकता के आधार पर आरएडब्ल्यू, आईबी, सीबीआई आदि के साथ सांझा किया जाता है तथा इसके लिए कोई विशेष प्रॉटोकॉल निर्दिष्ट नहीं है।

### (ग) अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय

अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय भी अब क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय लायसनिंग कार्यालय (आरआईएलओ) जो विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) की छत्रछाया में कार्य

करता है, द्वारा किया जाता है। डीआरआई आरआईएलओ से सम्पर्क का केन्द्रीय बिन्दु है।

### 2.7.1 डीआरआई एवं उसकी क्षेत्रीय ईकाईयों द्वारा जारी सावधानियों की मॉनटरिंग

डीआरआई मुख्यालय द्वारा अल्प मूल्यांकन , अधिमूल्यन, अधिसूचना लाभ का गलत अनुदान आदि से संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं एवं व्यपारियों द्वारा नियोजित कार्यप्रणाली को सुग्राही बनाने के लिए चेतावनी जारी की जाती है। डीआरआई द्वारा ऐसी सावधानियों तथा जारी एससीएन या निरन्तर किए गए अधिनिर्णयों के आधार पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा पता लगाए गए अधिकतर मामलों का रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं है। सीबीईसी डीआरआई द्वारा जारी चेतावनी की कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा भी नहीं करता तथा इस प्रकार निर्धारण अधिकारियों (एओज) के विवेक पर आसूचना जानकारी का उपयोग छोड़ते हुए क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा इन पर कार्य किया गया। जारी चेतावनी के आयुक्तालयों द्वारा दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु एक प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता है।

### 2.7.2 पुरस्कार

मुखबिर तथा सरकारी कर्मचारी वित्त मंत्रालय के दिनांक 20 जून 2001 की परिपत्र संख्या आर 13011/6/2001-सी.शु (एएस) में अनुबंधित अनुसार जुर्माने तथा उद्ग्रहित/लगाए गए तथा वसूले गए जुर्माने की राशि सहित जब्त किए गए वर्जित माल की निवल बिक्री आय और/अथवा कर अपवंचन की राशि के 20 प्रतिशत तक पुरस्कार के पात्र है। 2011-12 से 2013-14 की समयावधि के दौरान मुखबिरों तथा सरकारी अधिकारियों को दिया गया पुरस्कार नीचे तालिका में दिया गया है:

**तालिका 2.11:मामले एवं मुखबिरों को भुगतान पुस्कार**

| वर्ष | पाए गए मामले | पुरस्कृत मुखबिरों की संख्या | दी गई राशि (₹ हजार में) | अधिकारियों को दी गई राशि (₹ हजार में) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 289 | 36 | 5206 | 36204 |
| 2012-13 | 362 | 26 | 37411 | 48384 |
| 2013-14 | 514 | 45 | 39929 | 69945 |
| **जोड़** | **1165** | **107** | **82546** | **154533** |

यद्यपि मुखबिरों तथा अधिकारियों को दी गई राशि सामान्य तौर पर बढ़ रही थी, तथापि जब इसकी तालिका 2.4 में दर्शाए अनुसार प्राप्त आसूचना की

संख्या तथा जांच हेतु चयनित मामले से तुलना की गई तो आसूचना/जानकारी तथा प्राप्त किए/जांच किए गए मामलों की संख्या में कमी दिखाई दी।

## 2.8 आन्तरिक नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा

मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रधान सीसीए), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड 'सीक्रेट सर्विस फंड' (एसएसएफ) के प्रमाणीकरण के बिना डीआरआई की स्थापना तथा व्यय लेखापरीक्षा करता है। डीआरआई स्वयं एसएसएफ का प्रमाणीकरण करता है । अप्रैल 2006 से मार्च 2010 की अवधि के लिए प्रधान सीसीए की पिछली लेखापरीक्षा पांच वर्षों के अन्तराल के पश्चात मार्च 2011 में की गई थी।

महानिदेशक लेखापरीक्षा, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय डीआरआई के आन्तरिक नियंत्रण या इसके निष्पादन की जांच करने के लिए इसकी लेखापरीक्षा नहीं करता। डीआरआई सगंठन की कोई तकनीकी लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी। डीआरआई के नीति विभाग द्वारा बोर्ड तथा राजस्व विभाग को आवधिक रिपोर्टें भेजी जाती है जिन्हें दोहरी जांच के किसी प्रावधान के बिना डीआरआई द्वारा प्रस्तुत, एकत्रित तथा आवंटित किया जाता है।

डीआरआई द्वारा लिए गए मामलों से प्रमाण के अनुसार कार्य/अनुदेश के प्रभावी पालन के विषय में सुनिश्चितता प्राप्त करने के लिए कोई आन्तरिक नियंत्रण तंत्र नहीं है। कुछ मामलों में पार्टियों को दिए गए अवसरों को कम करने तथा स्वयं के लिए अधिक समय पाने के लिए प्रथम दृष्टयता रिलाइड अपॉन डोक्यूमेंट (आरयूडी) प्रदान नहीं किया गया।

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्तियां), दिल्ली के स्तर पर आयोजित की गई सांविधिक लेखापरीक्षा को बारीकी से मॅनीटर किया गया। जांच स्तर में वृद्धि के बावजूद, डीआरआई अपनी प्रणालियों तथा निष्पादन के उचित आश्वासन के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं तथा जानकारी को सांझा करने के मामले में सहयोग करने में विफल हुआ।